

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर(भीलवाडा)


नन्दू देवी पत्नि सुवा रेगर नि. पीपलुन्द

बनाम

नन्दकंवर पत्नि डुंगर सिंह राजपूत नि. पीपलुन्द वगैरा

म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 638/2023

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2525/1 कुल किता 1 रकबा 0.6232 हैक्टेयर तथा आ. न. 2525/4 कुल किता 1 रकबा 0.0971 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2525/1 कुल किता 1 रकबा 0.6232 हैक्टेयर तथा आ. न. 2525/4 कुल किता 1 रकबा 0.0971 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21. 6. 2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

राजस्थान-सरकार

उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्र. सं. 638/2023

दिनांक :- 21.6.2023

मीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 638/23 अनवान नन्दू देवी पत्नि सुवा रेगर नि. पीपलुन्द बनाम नन्दकंवर पत्नि जुंगर सिंह राजपूत, लादू पिता खेमा रेगर, धन्ना पिता छोदू रेगर, मनीष पिता मनोहर रेगर, दुर्गा पिता रामा रेगर, गोपाली पत्नि मनोहर रेगर नि. पीपलुन्द वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द जहाजपुर में स्थित आ. न. 2525/1 कुल किता 1 रकबा 0.6232 हैक्टेयर तथा 4 कुल किता 1 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये मा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)